रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22, 1975/अग्रहायण 1, 1897
No. 227] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22, 1975/AGRAHAYANA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 22nd November 1975

No. DRAWBACK/PN-80/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 :—

For sub-serial No. 3803 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
3803	(i) Circular and Oval shaped aluminium articles of thickness between 0.56 mm. and 1.22 mm.	Rs. 5.75 (Rupees five and paise seventy five only) per kg.

1	2	3
	(ii) Aluminium articles manufactured from sheets, circles and strips not elsewhere specified *i.e.* excluding articles mentioned at (i) above.	Rs. 6.65 (Rupees six and paise sixty five only) per kg.
	(iii) Aluminium articles other than those specified in item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and articles mentioned in items (i) and (ii) above not otherwise specified.	Rs. 5.50 (Rupees five and paise fifty only) per kg.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 15th day of October, 1975.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1975

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-80/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रमांक 3803 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
3803	(i) एल्यूमिनियम की 0.56 मि० मी० तथा 1.22 मि० मी० के बीच की मोटाई की वृत्ताकार तथा अंडाकार आकृति की वस्तुएं ।	5.75 रु० (केवल पांच रुपये और पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) एल्यूमिनियम की अन्यत्र अविनिर्दिष्ट शीट्स, सर्किल्स तथा स्ट्रिप्स से विनिर्मित वस्तुएं, अर्थात् जिनमें ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुएं शामिल नहीं है ।	6.65 रु० (केवल छः रु० और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न एल्यूमिनियम की वस्तुएं और मद (i) और (ii) में उल्लिखित वस्तुएं जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हों ।	5.50 रु० (केवल पांच रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।

यह सार्वजनिक सूचना अक्तूबर, 1975 के 15वें दिन को लागू हुई समझी जायगी ।

No. DRAWBACK/PN-81/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70 -DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 .—

For item (ii) of sub-serial No. 5902 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Description of goods	Rate of drawback
(ii) made of aluminium—	
(a) Size No. 3.	Rs. 58.65 (Rupees fifty eight and pais sixty five only) per one thousand metres.
(b) Size 5 or bigger than that.	Rs. 95.40 (Rupees ninety five and pais forty only) per one thousand metres

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 15th day of October, 1975.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-81/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70–प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनाक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 5902 की मद (ii) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

वस्तु का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
(ii) एल्यूमिनियम से बने—	
(क) साइज सं० 3	58.65 रु० (केवल अट्ठावन रुपये और पैंसठ पैसे) प्रति एक हजार मीटर ।
(ख) साइज सं० 5 अथवा उससे बड़े ।	95.40 रुपये (केवल पंचानवे रुपये और चालीस पैसे) प्रति एक हजार मीटर ।

यह सार्वजनिक सूचना अक्तूबर, 1975 के 15वें दिन को लागू हुई समझी जायगी ।

No. DRAWBACK/PN-82/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For sub-serial No. 3829 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3829	Aluminium Foil laminated paper used as packing material for export of package tea.	Rs. 7.60 (Rupees seven and paise sixty only) per kg.

The above rate is subject to the condition that no rebate is claimed under the Central Excise Rules in respect of the above packing material and the export of the packing material has not been made under Bond.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 15th day of October, 1975.

सं प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-82/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, ग्र ाधारण, दिनांक 25 ग्रगस्त, 1971 में प्रकाशित ग्रधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70— प्र० ग्र०) के नियम 4 के ग्रधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 ग्रक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 3829 ग्रौर तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
3829	पैकेटों में बन्द चाय के निर्यात के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में इस्तेमाल की गयी एल्यूमिनियम की पन्नी का परत चढ़ाया हुग्रा कागज ।	7.60 रु० (केवल सात रु० साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

उपर्युक्त दर इस शर्त पर ही मिल सकती है कि उपर्युक्त पैकिंग सामग्री के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के ग्रन्तर्गत छूट का कोई दावा नहीं किया गया हो ग्रौर पैकिंग सामग्री का निर्यात बंधपत्र के ग्रन्तर्गत नहीं किया गया हो ।

यह सार्वजनिक सूचना 15 ग्रक्तूबर, 1975 से लागू हुई समझी जायगी ।

No. DRAWBACK/PN-83/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No.52/F.No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 :—

For item (i) of sub-serial No. 3823 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Description of goods	Rate of drawback
(i) Pressure Cookers complete made of aluminium.	Rs. 6·10 (Rupees six and paise ten only per kg.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 15th day of October, 1975.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०—83/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3823 की मद (1) तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
(1) एल्युमीनियम के बने सम्पूर्ण प्रेशरकुकर	6.10 रु० (केवल छः रुपये दस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

यह सार्वजनिक सूचना 15 अक्तूबर, 1975 से लागू मानी जायगी ।

No. DRAWBACK/PN-84/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No.52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extr.-ordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For sub-serial No. 3202 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3202 (1)	Asbestos Cement pressure pipes and couplings.	Rs. 241·50 (Rupees two hundred forty one and paise fifty only) per tonne.
(2)	Asbestos Cement Plain sheets/ Roofining sheets and accessories.	Rs. 156·15 (Rupees one hundred fifty six and paise fifteen only) per tonne.
(3)	Asbestos Cement Products N.O.S.	Rs. 124·50 (Rupees one hundred twenty four and paise fifty only) per tonne.

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०—84/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन,

केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 ग्रक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी मे एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3202 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
3202	(1) ऐसेबेस्टास सीमेंट प्रेशर पाइप तथा युग्मन	241.50 रु० (केवल दो सौ इकतालीस रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	(2) एसबेस्टास सीमेंट की सादी चादरें/छत बनाने की चादरे तथा उपांग	156.15 रु० (केवल एक सौ छप्पन रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	(3) ग्रन्यथा ग्रविनिर्दिष्ट ऐसबेस्टास सीमेंट उत्पाद	124.50 रु० (केवल एक सौ चौबीस रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

No. DRAWBACK/PN-85/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notificatio No.52/F.No.602/2/70 -DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 :—

For sub-serial No. 3202 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub. Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3202	Asbestos Cement Products	Rs. 946·00 (Rupees nine hundred and forty six only) per tonne of Asbestos content plus Rs. 77·90 (Rupees seventy seven and paise ninety only) per tonne of Cement Content.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 7th day of June, 1975 and shall remain in force till 21-11-75.

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०—85/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (भारत के राजपत्र, ग्रसाधारण, दिनांक 25 ग्रगस्त, 1971 प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971, में प्रकाशित ग्रधिसूचना स० 52/फा० सं० 602/2/70—ग्र० ग्र०) के नियम 4 के ग्रधीन,

केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०, 1, दिनांक, 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3202 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
1	2	3
3202	एस्बेस्टास सीमेंट उत्पाद	एस्बेस्टास अन्तर्वस्तु के प्रति मीट्रिक टन पर 946.00 रुपये (केवल नौ सौ छियालीस रुपये) तथा सीमेंट अन्तर्वस्तु के प्रति मीट्रिक टन पर 77.90 रु० (केवल सतहत्तर रुपये नब्बे पैसे)।

यह सार्वजनिक सूचना जून, 1975 के 7वें दिन को लागू हुई समझी जायगी तथा 21-11-75 तक लागू रहेगी।

No. DRAWBACK/PN-86/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 :—

For sub-item (xi) of sub-serial No. 5002 and the entries relating thereto, the following shall be substituted; namely :—

Description of goods	Rate of drawback
(xi) Spring leaves and Axle Shafts used in automobiles.	Rs. 346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1975.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-86/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय

सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०, 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 5002 की उप मद (XI) तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जायगा, अर्थात :—

माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
(XI) ग्राटोमोबाइलों में प्रयुक्त होने वाले स्प्रिंगलीव्ज और ऐक्सल शाफ्ट	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1975 से लागू हुई मानी जायगी ।

सी० भुजंगस्वामी, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975